Reviewing the participation in private placement of FI debt

732. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether banks are reviewing participation in private placement of FI debt;

(b) if so, reasons therefor;

(c) what is the cause of differences between banks and FIs on project finance;

(d) the full details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (d) Information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the Hosue.

Investment of LIC funds in private sector

733. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have permitted Life Insurance Sector to invest its annual accretion funds in the private sector infrastructure; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) Prior to July, 1997, the socially oriented sector investment of the LIC consisted of loans for Housing Schemes, Electricity Boards, Water Supply and Sewerage Boards, State Road Transport Corporations, Co-operative Industrial Estates and Sugar Co-operatives. From 30th July, 1997 onwards the scope of socially oriented sector investments has been enlarged to include investments in infrastructure projects relating to Ports, Roads and Highways, Railways (i.e. BOLT projects) and Airports. LIC has been allowed to invest in private sector infrastructure projects also subject to availability to suitable schemes which satisfy their prudential norms.

झारखंड के क्षेत्रीय समाचारों का जनजातीय क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन पर प्रसारण

734. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पटना दूरदर्शन केन्द्र झारखंड क्षेत्र के समाचारों को आनुपातिक रूप से प्रसारित नहीं करता, जिससे जनजाति क्षेत्र के लोगों को समाचार नहीं मिल पाते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रांची दूरदर्शन केन्द्र से क्षेत्रीय समाचार प्रसारित करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। झारखण्ड क्षेत्र से सम्बन्धित समाचार मदों का उनके समाचारिक महत्व के आधार पर समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्र, पटना से प्रसारित समाचार बुलेटिनों में उल्लेख किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में संशोधन करने के आधार

735. **श्री ईश दत्त:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लागू करने के लिए इसमें कोई संशोधन किये गये हैं तथा क्या इस प्रयोजनार्थ इसकी जिम्मेदारियां किसी निकाय को सौंपी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो किसे और किस आधार पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन पर किसकी निगरानी होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती की स्वायत्तता तथा इसकी क्षमता बढ़ाने तथा प्रसार भारती और प्रसारण प्राधिकरण के बीच परस्पर व्यापन (ओवरलैप) को दूर करने के उद्देश्य से भी 29.10.97 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 के जरिए मुख्य अधिनियम में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिन्हें एक अलग अधिनियम के जरिये इसके स्थान पर रखने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अत्यंत कम शक्ति वाले स्वचालित दूरदर्शन प्रसारण ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

736. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्यंत कम शक्ति वाले प्रसारण केन्द्रों में से ऐसे कितने केन्द्र हैं जो स्वचालित हैं;

(ख) उन केन्द्रों का नाम क्या है जहां ऐसे स्वचालित उपस्करों के रखरखाव और देखरेख के लिए एक भी कर्मचारी पदस्थ नहीं किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है कि इन केन्द्रों के माध्यम से नियमित प्रसारण हो सके तथा किसी गड़बड़ी के मामले में इसकी सूचना किसी कर्मचारी के बिना कार्य कर रहे केन्द्रों से बहुत दूर पदस्थ इंजीनियरों को दी जा सके; और

(घ) प्रसारण वर्ष 1997 के दौरान, एक महीने से अधिक समय से उन प्रसारण केन्द्रों में से केन्द्रों के बन्द होने के लिए उत्तरदायी कारणों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) फिलहाल कर्मचारी रहित प्रतिष्ठानों के रूप में स्वतः प्रचालन हेतु बनाए गए 173 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर देश में प्रचालन में है। इन अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के कार्य निष्पादन की जांच करने के लिए समीपवर्ती अनुरक्षण केंद्रों से अनुरक्षण स्टाफ द्वारा आवधिक रूप से दौरे किए जाते हैं और जहां कहीं दोष पाए जाते हैं, उन्हें दूर किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित जिला प्राधिकारियों / गांव पंचायतों से अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अव्यवस्थित कार्यकरण की शिकायतें भी मिलती रहती हैं और उन पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है। तथापि, खराब मौसम संबंधी परिस्थितियों, पहाड़ी इलाकों और संबंधित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा समीपवर्ती अनुरक्षण केंद्र के बीच अधिक दूरी के कारण दोषों को दूर करने में कुछ समय, कभी-कभी एक महीने से भी अधिक समय लग जाता है।

Cultural invasion through Electronic Media

737. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a cultural invasion through the electronic media, eroding the ethical values of India; and

(b) if so, the measures Government contemplate to prevent such harmful invasion and to protect the unique cultural values of our country?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) A large number of foreign satellite TV channels, beaming their programmes over Indian sky from outside the country are being received all over country either through individual dish antennae or through cable operators. The adverse impact of these TV programmes on the Indian values and culture has been a subject matter of public debate in different for a including Parliament.

(b) Government have already introduced a Broadcasting Bill in the Parliament, which among other things, seeks to regulate the foreign satellite channels and bring them within the ambit of Indian laws and regulations including a broadcasting code. The Bill has been referred to a Joint Select Committee of Parliament.

स्वायत्त प्रसारण निगम के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार

738. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रसार भारती अधिनियम लागू हो जाने के बाद स्वायत्त प्रसारण निगम द्वारा निर्मित और प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और स्तर में अपेक्षित सुधार होगा;